फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत मुकाम .जिला कलक्टर,भरतपुर

कु0 देवेन्द्र सिंह बनाम महन्त राजमंगलदास वगे0

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशयल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
6/9/24	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थना पत्र बाबत पक्षकार मुकदमा बनाये जाने प्रार्थी अभिभाषक प्रमोद उपमन एवं अभिभाषक हेमराज शर्मा उपस्थित। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 रुल 10 व धारा 151 जा. दीवानी प्रार्थी अनिल कुमार गोयल पुत्र स्व0 मुकुट बिहारी लाल गोयल की ओर से उनके अभिभाषक उपस्थित एवं प्रार्थीयान श्रीमती मीरादेवी पत्नि मूलचंद वगे0 की ओर से एड0 प्रमोद उपमन द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत बनाये जाने पक्षकार मुकदमा पर उभय पक्ष को सुना गया। प्रस्तुत उक्त दोनों प्रार्थना पत्रों का अवलोकन किया गया । उक्त दोनों प्रार्थना पत्र में मुख्य रुप से प्रार्थीयान ने विवादित आराजी में अपना हित को बताते हुये पक्षकार मुकदमा बनाये जाने की प्रार्थना की गई है। हमने पत्रावली का अवलोकन किया गया। विचाराधीन प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय अपील/डिक्री सं. 39/89/भरतपुर उनवान महन्त राजमंगल चेला महावीरदास बनाम मुकुट बिहारी लाल पुत्र प्यारे लाल वगे0 में पारित निर्णय दिनांक 22.5.2003 की पालना हेतु विचाराधीन है। माननीय खण्डपीठ राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22–5–2003 का अवलोकन किया गया। माननीय खण्डपीठ राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा पारित उक्त निर्णय दिनांक 22–5–2003 के **पैरा नं. 12** में अंकित किया है कि :– "".....आराजी खसरा नम्बर सं. 1159/1 रकबा 18 बिस्वा बाके भरतपुर चक न02 महावीर प्रसाद चेला गरीबदास कौम बेरागी के कब्जे व काश्त व खातेदारी की भूमि है। महावीर प्रसाद का यह भूमि पंजीकृत दान पत्र द्वारा प्राप्त हुई थी । महावीर प्रसाद की मृत्यू दिनांक 25.11.64 का हो गई थी। उक्त सम्पत्ति के राजंमगल व प्रत्यर्थी नं. 1 व 4 दावेदार हैं। प्रत्यर्थी नं0 4 द्वारा वकालतनामा प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण उन्होने अपने हक की मांग नही की है। अपीलार्थी द्वारा कब्जे के आधार पर एवं प्रत्यर्थी द्वारा कब्जे एवं वसीयत के आधार पर एवं उसके पक्ष में हुए दिनांक 22–11–1960 को लिखित इकरारनामे एवं उसके द्वारा दिनांक 21.2.70 को	

जिला कलक्टर
भरतपुर

विवादित भूमि को भगवानदास द्वारा 8000/– में प्रत्यर्थी नं. 1 को बेचान से प्राप्ति के आधार पर दावे प्रस्तुत किये गये। दोनो ही पक्षों द्वारा न्यायालय जिला कलक्टर भरतपुर के आदेश दिनांक 26.4.69 (राजगामित्व अधिनियम) के अनुसार उत्तराधिकार का प्रश्न सक्षम न्यायालय से तय नहीं कराया है। इसलिये न्यायालय के सामने न्यायालय जिला कलेक्टर, भरतपुर के आदेश दिनांक 26–4–69 की प्रतिलिपि विचारण न्यायालय का अभिलेख प्राप्त नहीं होने के कारण उपलब्ध नहीं है.....।"

माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने अपने निर्णय के पैरा–14 में अंकित किया है :–

".....उपरोक्त परिस्थितियों में अपील आशिंक रुप से स्वीकार की जाकर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय तथा अपीलार्थी के पक्ष में निष्पादित विवादित नामान्तकरण दिनांक 26–4–73 निरस्त किये जाते हैं। राजस्व अभिलेख में उपरोक्त नामान्तरकरण से पूर्व की स्थिति बहाल हो। जिला कलेक्टर भरतपुर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे इस आराजी की किस्म तथा स्वत्व बाबत अभिलेख तथा मौके की पूर्ण जानकारी करें एवं राजगामित्व अधिनियम के अन्तर्गत किये गये कथित निर्णय यदि कोई हो को मद्देनजर रखते हुए अग्रिम विधिक कार्यवाही करें। यदि आवश्यक हो तो जिला कलेक्टर द्वारा इस सम्बन्ध में संदर्भ भी प्रस्तुत किया जा सकता है.....।"

माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णयनुसार विवादित आराजी के विवादित नामान्तकरण दिनांक 26–4–73 निरस्त किया जाकर राजस्व अभिलेख में उपरोक्त नामान्तरकरण से पूर्व की स्थिति बहाल किये जाने तथा विवादित आराजी भूमि किस्म तथा स्वत्व अभिलेख तथा मौके की स्थिति की जानकारी की जाकर, राजगामित्व अधिनियम के अन्तर्गत किये गये कथित निर्णय यदि कोई हो को मद्देनजर रखते हुये अग्रिम विधिक कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णयानुसार कथित नामान्तकरण निरस्त किया जाकर राजस्व अभिलेख में 26.4.73 की स्थिति कायम किये जाने की रिपोर्ट तहसीलदार भरतपुर का पत्र क्रमांक एलआर/18/6076 दिनांक 26.12.2018 प्राप्त हुई है जो शामिल पत्रावली है तहसीलदार भरतपुर ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया है कि :–

".....माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय दिनांक 22.5.03 अनुसार कस्बा भरतपुर चक नं. 2 के

आ.ख.न. 1159/1 रकवा 0.18 विस्वा के सम्बन्ध में विवादित नामान्तकरण दिनांक 26.4.73 निरस्त किये जाकर पूर्व की स्थिति वहाल की जानी है के अनुसार कस्वा भरतपुर चक नं.2 का नामा. संख्या 1539 दिनांक 26.4.73 निरस्त किया जा चुका है राजस्व अभिलेख में 26.4.73 से पूर्व की स्थिति वहाल की जानी है की पालना में गत ख.न. 1159/1 व मुताविक मिलान खसरा नया ख. न. 1069/3384 रकवा 0.15 हे0 का नामा0 संख्या 1443 दिनांक 15.11.18 से दर्ज होकर दिनांक 26.11.18 को स्वीकृत होकर रिकार्ड में अमल हो चुका है..... ।"

विवादित आराजी के मौका एवं भूमि किस्म के वारे में तहसीलदार भरतपुर ने अपने पत्रांक/ एलआर / 2024 / 5061 दिनांक 08.08.2024 में अंकित किया है कि :–

".....कस्वा भरतपुर चक नं. 2 स्थित ख.न. 1159/1 रकवा 18 विस्वा से हाल खसरा नं. 1069/3384 रकव 0.15 हैक. किस्म बंजड बना है। मुताविक हाल जमावन्दी सम्वत् 2072–75 में उक्त ख.न. महावीरप्रसाद पिस. चेला गरीदास हि. पूर्ण जाति बैरागी सा. मालगोदाम स्टेशन भरतपुर खातेदार दर्ज रिकार्ड है। मोके पर उक्त ख.न. खाली है एवं बबूल खड़े हुए है..... ।"

माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के निणर्य अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल हो चुका है। जहां तक प्रश्न विवादित आराजी में राजगामित्व अधिनियम के तहत कार्यवाही करने का है, पत्रावली में उपलब्ध पत्रादि के अवलोकन से जाहिर है कि राजस्थान राजगामी संपत्ति अधिनियम 1956 के अन्तर्गत विवादित आराजी के बावत जिलाधीश भरतपुर कार्यालय से पत्र क्रमांक 12/10 ( ) /राजस्व/68/3765 दिनांक 26 अप्रेल 69 को एक पत्र तहसीलदार भरतपुर को जारी किया गया है जो इस प्रकार है :–

".....आपके पत्र संख्या– 1084 दिनांक 27.8.68 के अंतर्गत प्राप्त आपकी पत्रावली संख्या– 21सन् 1964 मूल रुप में आपको वापिस कर लिखा जाता है कि यह मामला राजस्थान राजगामी संपत्ति अधिनियम 1956 के अधीन नहीं आता अतः लावरिसी समांप्त करने की आज्ञा दी जाती है। चुंकि मृतक के वारिसान में आपस में झगड़ा है। अतः आपको लिखा जाता है कि कृपया सबंधित व्यक्तियों को निर्देश दें कि वे अपना उत्तराधिकारी का मामला सक्षम न्यायालय से तय करावें..... ।"

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णयानुसार पालना हो चुकी है, विवादित आराजी के

जिला कलक्टर
भरतपुर

सम्बन्ध में उत्तराधिकार सक्षम न्यायालय से तय होना है। प्रार्थीयान द्वारा विवादित आराजी को लेकर सक्षम न्यायालय का कोई उत्तराधिकार आदेश/प्रमाण पत्र हमारे समक्ष पेश नहीं किया गया है। अस्तु प्रार्थना पत्र बाबत बनाये जाने पक्षकार चलने योग्य नहीं रहते हैं। अतः प्रकरण बाद कार्यवाही दाखिल दफतर हो। पत्रावली के साथ सलंग्न पत्रावली न्यायालय सहायक कलेक्टर मुख्यालय भरतपुर दावा नम्बर 46/82 निर्णय दिनांक 15.5.85 उनवान कु0 देवेन्द्रसिंह बनाम राजमंगल वगे0 वापिस सम्बन्धित न्यायालय को लोटाई जावे।

जिला कलक्टर
भरतपुर